



Centre for Electronic Governance

(Established by Government of Rajasthan)

Near Govt. R.C. Khaitan Polytechnic College, Jhalana Doongri,
Jaipur- 302004 Phone: 0141-2702344, Website: www.ceg.rajasthan.gov.in

Email: directorceg@gmail.com , mail.ceg-rj@nic.in

E-mail

दिनांक: 18.02.2019

क्रमांक / सीईजी / एफ(1387) / 2019 / 213

डीन / टेक्यूप-III कॉर्डिनेटर,
युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरटीयू कोटा।
सीटीईई, उदयपुर।
एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर।
बीकानेर टेक्निकल युनिवर्सिटी, बीकानेर (सीईटी, बीकानेर)।
प्राचार्य,
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर / महिला अजमेर / भरतपुर / बीकानेर /
वाड़मेर / झालावाड़ा / एमएलवीटीईसी, भीलवाड़ा।

विषय:- राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत सीईजी द्वारा फैकल्टी डवलपमेन्ट कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा का पत्र क्रमांक 23(14)त.शि./2006-I
दिनांक 24/01/2019।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत राजकीय अभियांत्रिकी एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक सदस्यों की तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 सह आचार्यों/सहायक आचार्यों/शैक्षणिक सदस्यों को Robotic & 3D Printing विषय पर निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इसी क्रम में सीईजी द्वारा द्वितीय चरण में दिनांक 25.02.2019 से 01.03.2019 तक उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक सदस्यों हेतु फैकल्टी डवलपमेन्ट कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण शुल्क राशि रुपये 12,500/- प्रति प्रतिभागी है। इस शुल्क में भोजन, आवास इत्यादि शामिल है। इसका भुगतान सम्बंधित महाविद्यालयों द्वारा TEQIP-III /संस्थान के अन्य मद से डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा NEFT द्वारा "निदेशक, सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स, जयपुर" के खाते में ऑनलाईन स्थानांतरित करने का श्रम करावें। एनईएफटी हेतु बैंक खाते का विवरण निम्न है।

Account Holder Name:-	Director, Centre For Electronic Governance, Jaipur
Bank Account No. :-	83032010015882
Bank Name :-	Syndicate Bank
Bank Branch Name :-	Jhalana Doongri, Jaipur
IFSC Code :-	SYNB0008303
MICR Code :-	302025004

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको महाविद्यालय से प्रथम चरण दिनांक 11.02.2019 से 15.02.2019 तक आयोजित FDP में भेजे गये प्रशिक्षणार्थियों के अतिरिक्त द्वितीय चरण में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सदस्यों (Computer Science/ Mechanical / Mechanical Production/ Mechanical Refrigeration/ Electronics/ Electrical/ Automobile/ Instrumentation/ Fibre Electronics/ Information Technology/ Physics ब्रांच के) को भाग लेने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत है अतः इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


(संदीप कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्रमांक / सीईजी / एफ(1387) / 2019

दिनांक: 19.02.2019

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग जयपुर से निवेदन है कि उक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित कर प्रत्येक महाविद्यालय से 03 शैक्षणिक सदस्यों को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
2. एस.पी.ए एसएसपीआईयू, टैक्यू-3 जयपुर से निवेदन है कि आपके अन्तर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के टैक्यूप कॉर्डिनेटर को निर्देशित कर प्रत्येक महाविद्यालय से 03 शैक्षणिक सदस्यों को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

(संदीप कुमार)
निदेशक

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

कमांक 23 (14) त.शि./2019-I

जयपुर, दिनांक, 24 जनवरी, 2019

रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, अकेलगढ़, रावतभाटा रोड़, कोटा।	रजिस्ट्रार, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर
डीन एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर।	डीन सीटीआई उदयपुर
प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर/महिला अजमेर/झालावाड़/भरतपुर/बीकानेर/बांसवाड़ा।	प्राचार्य, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, बीकानेर।
प्राचार्य, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा।	

विषय :- राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत सीईजी द्वारा फैकल्टी डवलपमेन्ट कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपकी संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक सदस्यों की तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स जयपुर में रोबोटिक एण्ड 3 डी प्रिंटिंग विषय पर प्रशिक्षण करवाये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण शुल्क आपकी संस्थानों में शैक्षणिक सदस्यों के लिए 12500/- रुपये प्रति भागी है। इसका भुगतान संबंधित महाविद्यालयों द्वारा टेक्यूप-III/संस्थान के अन्य मद से किया जावेगा।

कृपया आपकी संस्थानों में कार्यरत न्यूनतम 5 शैक्षणिक सदस्यों को सीईजी द्वारा आयोजित उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शैक्षणिक सदस्यों को भिजवाये जाने हेतु निर्देश जारी कर विभाग को सूचित करने का श्रम करें।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निदेशक सीईजी जयपुर को उनके पत्र कमांक सीईजी/एफ (1387)/2019 दिनांक 24.1.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त सचिव, त.शि.